भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4767

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भाखड़ा नहर प्रणाली की मरम्मत

4767. कुमारी सैलजा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा को भविष्य में निर्बाध और एकसमान जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने जल आपूर्ति में कमी के कारण हरियाणा में किसानों और स्थानीय निवासियों को हुए नुकसान का आकलन किया है और यदि हां, तो इस संबंध में दिए गए/दिए जाने वाले मुआवजे, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने और भाखड़ा नहर प्रणाली का समय पर रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ग): हरियाणा में तीन मुख्य प्रणालियों : डब्ल्यूजेसी प्रणाली और भाखड़ा प्रणाली अर्थात् टेल बीएमएल प्रणाली और बीएमएल-बारवाला लिंक प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है। हरियाणा सरकार पानी की उपलब्धता, विभिन्न क्षेत्रों की सिंचाई आवश्यकताओं और प्रत्येक किसान को सुनिश्चित जल आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रोटेशनल कार्यक्रम तैयार करती है। हरियाणा में सभी हितधारकों को पानी का एकसमान और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने हेतु भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत सभी चैनलों को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित रोटेशनल कार्यक्रम के अनुसार सख्ती से संचालित किया जाता है। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की रूकावट से बचने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर नियमित निरीक्षण, समय पर मरम्मत और नहरों और अन्य संरचनाओं का पुनर्रूद्धार किया जाता है। साथ ही, मानसून मौसम की शुरुआत से पहले ही पंजाब और हरियाणा के प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करके बीएमएल और नरवाना शाखा नहर के संवेदनशील स्थानों की पहचान की जाती है और उनकी मरम्मत की जाती है।

इसके अतिरिक्त, सुरक्षित संवहनीय क्षमता के अध्यधीन नांगल हाईडेल चैनल (एनएचसी) और भाखड़ा मुख्य लाइन (बीएमएल) में साझेदार राज्यों के मध्य पानी के साझेदारी/वितरण के मुद्दे के निवारण/हल करने हेतु बीबीएमबी ने सदस्य (सिंचाई) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें बीबीएमबी के सदस्यों के साथ-साथ साझेदार राज्यों, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्लयूसी) के सदस्य शामिल हैं।

(ख): मार्च- अप्रैल 2025 के दौरान, जब आपूर्ति कम थी, तो हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकृत रोटेशनल कार्यक्रम के अनुसार पानी के वितरण का प्रबंधन किया गया और पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इस अवधि के दौरान सिंचाई के पानी की मांग नहीं थी, अत: इस दौरान सिंचाई की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

*****